अध्याय-1

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95	41,913.80
	कर-भिन्न राजस्व	6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74	6,961.49
	योग	**40,221.78**	**50,212.23**	**50,556.98**	**50,224.69**	**48,875.29**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	6,597.47	7,297.52	8,254.60	7,111.53	6,437.59[2]
	सहायता अनुदान	5,677.57	5,185.12	7,073.54	10,521.91	12,248.13[3]
	योग	**12,275.04**	**12,482.64**	**15,328.14**	**17,633.44**	**18,685.72**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**52,496.82**	**62,694.87**	**65,885.12**	**67,858.13**	**67,561.01**
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**76.62**	**80.09**	**76.74**	**74.01**	**72.34**

(स्रोत: वित्त लेखे)

---

1 राज्य सरकार के वित्त लेखे।

2 इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,907.46 करोड़ की राशि शामिल हैं।

3 इसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,065.81 करोड़ की राशि शामिल है।

2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1 (राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति)

(₹ करोड़ में)

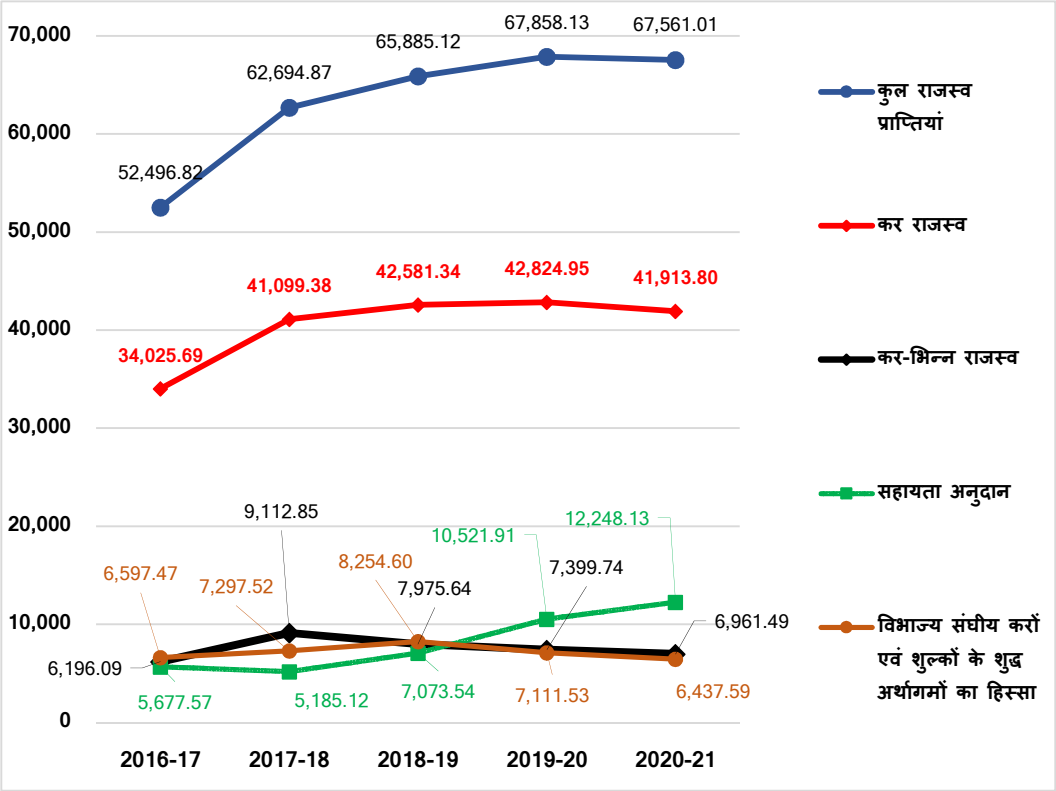

(स्रोत: वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 48,875.29 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 72.34 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों का शेष 27.66 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2016-17 (76.62 प्रतिशत) से 2017-18 (80.09 प्रतिशत) तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई। तत्पश्चात, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए घटकर 76.74 से 72.34 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2017-18 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2018-19 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2019-20 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2020-21 वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2019-20 के वास्तविकों पर 2020-21 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	23,488.41 (69.03)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.31)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	3.12
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर		10,833.43 (26.36)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	(-) 3.38
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	8.57
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	(-) 14.24
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	594.59 (1.75)	2,317.47 (5.64)	20.70 (0.05)	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	(-) 76.40
5.	वाहनों पर कर	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	(-) 14.43
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	81.70
7.	भू-राजस्व	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	(-) 19.73
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	4.92 (0.01)	26.48
	योग	**34,025.69**	**41,099.38**	**42,581.34**	**42,824.95**	**41,913.80**	**(-) 2.13**
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	**10.01**	**20.79**	**3.61**	**0.57**	**(-) 2.13**	
	संपूर्ण औसत वृद्धि एवं पांच वर्ष की वृद्धि दर						**40,489.03 (6.57)**

(स्रोत: वित्त लेखे)

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: एकत्रित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

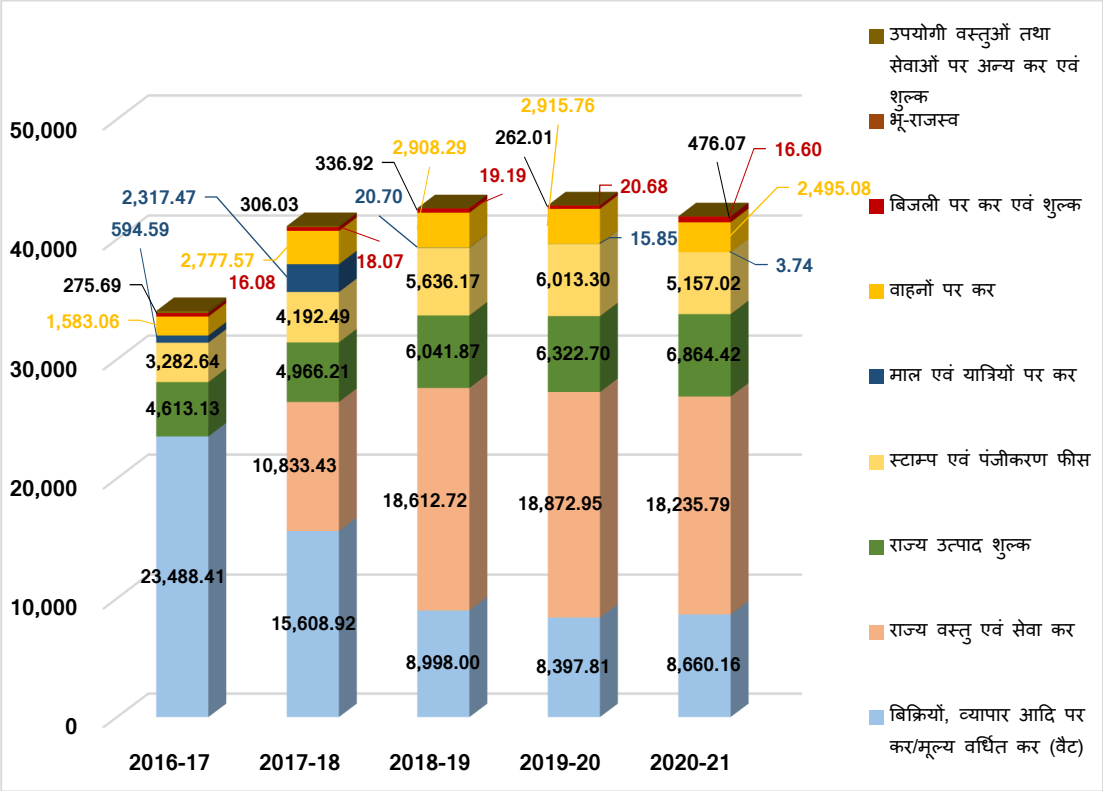

(स्रोत: वित्त लेखे)

5.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व कर में ₹ 7,888.11 करोड़ (23.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, 2020-21 में 2.13 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किएः

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राज्य उत्पाद शुल्क 2019-20 में ₹ 6,322.70 करोड़ के विरूद्ध 2020-21 में विदेशी शराब और जुर्माने पर अधिक प्राप्ति के कारण बढ़कर ₹ 6,864.42 करोड़ हो गया।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस 2019-20 में ₹ 6,013.30 करोड़ के विरूद्ध 2020-21 में गैर-न्यायिक स्टाम्पों की कम बिक्री से कम प्राप्ति के कारण घटकर ₹ 5,157.02 करोड़ हो गई।
- **वाहनों पर कर:** वाहनों पर कर 2019-20 में ₹ 2,915.76 करोड़ के विरूद्ध 2020-21 में घटकर ₹ 2,495.08 करोड़ हो गया, जो कि कोविड-19 के कारण कम प्राप्तियों के कारण था।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली पर कर एवं शुल्क 2019-20 में ₹ 262.01 करोड़

के विरूद्ध 2020-21 में बिजली की खपत पर अधिक प्राप्ति के कारण बढ़कर ₹ 476.07 करोड़ हो गए।

- **भू-राजस्व:** भू-राजस्व निम्नलिखित के विरूद्ध कम वसूलियों के कारण 2019-20 में ₹ 20.68 करोड़ के विरूद्ध 2020-21 में घटकर ₹ 16.60 करोड़ हो गया: किसान पास बुक, अधिक भुगतान, पटवारियों के अभिलेखों की नकल और निरीक्षण फीस, राजस्व विभाग के राजस्व तलबाना एवं जुर्मानों और जब्ती।

1.1.3 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 के वास्तविकों पर 2020-21 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
1.	ब्याज प्राप्तियां	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	(-) 20.92
2.	सड़क परिवहन	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.00)	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	(-) 47.48
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	30.03
4.	शहरी विकास	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	5.30
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	45.38
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	22.09
7.	पुलिस	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	(-) 70.25
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	(-) 39.18
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	(-) 13.44
10.	विविध सामान्य सेवाएं[4]	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	109.16
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	14.72

[4] अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 के वास्तविकों पर 2020-21 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
12.	**अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां**	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	762.85 (9.56)	577.28 (7.80)	566.38[5] (8.14)	(-) 1.88
योग		**6,196.09**	**9,112.85**	**7,975.64**	**7,399.74**	**6,961.49**	**(-) 5.92**

(स्रोत: वित्त लेखे)

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

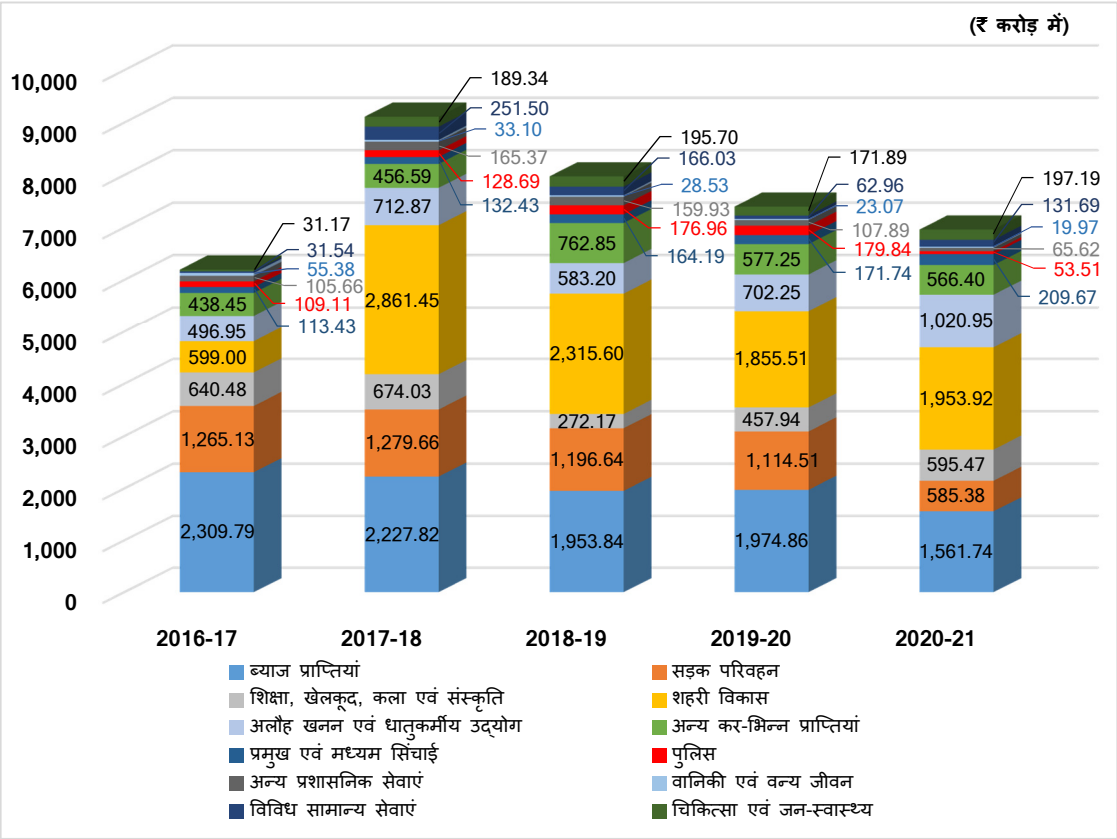

(स्रोत: वित्त लेखे)

[5] लाभांश एवं लाभ- ₹ 163.14 करोड़, लोक सेवा आयोग- ₹ 16.29 करोड़, लोक निर्माण- ₹ 27.47 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली- ₹ 38.10 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- ₹ 69.68 करोड़, श्रम एवं रोजगार- ₹ 41.84 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- ₹ 78.66 करोड़, पशु पालन- ₹ 4.03 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- ₹ 8.47 करोड़, सड़क एवं पुल- ₹ 27.87 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 0.02 करोड़, जेल- ₹ 1.16 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान- ₹ 1.26 करोड़, स्टेशनर्स एंड प्रिंटिंग- ₹ 2.01 करोड़, परिवार कल्याण- ₹ 0.05 करोड़, आवास- ₹ 6.28 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन- ₹ 0.17 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं- ₹ 4.97 करोड़, फसल पालन- ₹ 25.78 करोड़, डेयरी विकास- ₹ 0.04 करोड़, मछली पालन- ₹ 2.86 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण- ₹ 0.16 करोड़, सहकारिता- ₹ 9.67 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम- ₹ 1.41 करोड़, भूमि सुधार- ₹ 0.01 करोड़, नई अक्षय ऊर्जा- ₹ 0.06 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग- ₹ 1.34 करोड़, उद्योग- ₹ 0.08 करोड़, नागर विमानन- ₹ 8.79 करोड़, पर्यटन- ₹ 1.75 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- ₹ 22.95 करोड़, लघु सिंचाई- ₹ 0.01 करोड़।

वर्ष 2019-20 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में 5.92 प्रतिशत की कमी थी। ब्याज प्राप्तियां (22.43 प्रतिशत), शहरी विकास (28.06 प्रतिशत) तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (14.67 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का 65.16 प्रतिशत अंशदान करते हैं। तथापि, ब्याज प्राप्तियों और सड़क परिवहन की प्राप्तियों में कमी के कारण 2019-20 से 2020-21 तक कर-भिन्न राजस्व में कमी आई है।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **ब्याज प्राप्तियां:** ब्याज प्राप्तियां 2019-20 में ₹ 1,974.86 करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान घटकर ₹ 1,561.74 करोड़ रह गई जो सार्वजनिक क्षेत्र और विभागीय उपक्रमों से कम प्राप्ति के कारण थी।
- **सड़क परिवहन:** कोविड-19 के कारण बसों की संख्या में कमी और बसों के संचालन में कमी के कारण हरियाणा रोडवेज की कम प्राप्ति के कारण 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (47.48 प्रतिशत) आई थी।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (30.03 प्रतिशत) माध्यमिक शिक्षा से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगः** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (45.38 प्रतिशत) खनिज रियायत फीस, किरायों और रॉयल्टियों से अधिक प्राप्तियों और बकाया की प्रभावी वसूली तथा अवैध खनन की नियमित जांच और अवैध खनन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों से पेनल्टी की वसूली के कारण थी।
- **प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (22.09 प्रतिशत) पिछले वर्ष के बकाये की वसूली तथा विभाग के संसाधन जुटाने के प्रयासों के कारण थी।
- **पुलिस:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (70.25 प्रतिशत) सभी उप शीर्षों[6] के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (13.44 प्रतिशत) मुख्य रूप से विभाग के उत्पादन विंग की गतिविधि में कमी के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए।

---

[6] अन्य सरकारों को आपूर्ति की गई पुलिस, अन्य पक्षों को आपूर्ति की गई पुलिस, फीस, जुर्माने और जब्ती, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां, राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां, भुगतान की वसूली और अन्य प्राप्तियां।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2021 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 35,166.11 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 5,848.55 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया राशि	31 मार्च 2021 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	**बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट**	32,716.78	4,907.54	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,924.36 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 1,227.36 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 96.90 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 130.44 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 3,488.18 करोड़ परिशोधन/ समीक्षा/ एप्लीकेशन के कारण रोके गए थे। ₹ 2,928.87 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 3,094.25 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 1,655.15 करोड़ की वसूली बकाया थी। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 1,802.87 करोड़ था तथा अंतरजिले बकाया ₹ 84.99 करोड़ थे। ₹ 0.16 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 16,283.25 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों में थी।
2	**राज्य उत्पाद शुल्क**	436.39	190.42	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 9.49 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 1.43 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 0.89 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 111.08 करोड़ अंतरराज्ययीय तथा अंतर्जिले बकायों के कारण थे। ₹ 22.27 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 291.23 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3	**बिजली पर कर एवं शुल्क**	364.60	184.75	₹ 363.60 करोड़ की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लंबित थी तथा ₹ 1.00 करोड़ मैसर्ज हरियाणा कॉनकास्ट, हिसार के विरूद्ध लंबित थे।
4	**स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)**	206.44	197.17	₹ 152.86 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.11 करोड़ न्यायालय में मुकदमों के कारण लंबित थे तथा ₹ 53.47 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थे।
5	**पुलिस**	128.86	40.91	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 121.20 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6	**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां**	11.77	11.77	₹ 3.18 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 8.59 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7	**अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग**	1,301.27	315.99	₹ 564.75 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थी, ₹ 0.55 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.39 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 12.88 करोड़ न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थे। अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 486.80 करोड़ लंबित थे। अंतर्राज्यीय बकाया ₹ 14.03 करोड़ और अंतर जिला बकाया ₹ 221.85 करोड़ था। ₹ 0.02 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी।
	योग	**35,166.11**	**5,848.55**	

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89
	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता 87 प्रतिशत थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करता है। आगे, विभाग नए करदाता कर के दायरे में लाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 को लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2021 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	114	115	115	0.84	0
2	राज्य उत्पाद शुल्क	290	1,662	1,952	1,820	20.87	132
योग		**291**	**1,776**	**2,067**	**1,935**	**21.71**	**132**

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में 2020-21 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में कमी हुई है और बिक्रियों, व्यापार/वैट इत्यादि पर कर के संबंध में कोई लंबित मामला नहीं था।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2020-21 के आरम्भ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित मामलों की संख्या तालिका 1.5 में वर्णित हैं:-

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	521	187.08	51	1.98
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,074	192.99	99	10.63
3	वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,115	260.72	111	10.38
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	480	119.35	39	2.23

(स्रोत: विभागीय आंकड़ा)

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में बकाया मामलों की संख्या में कमी आई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मैन्युअल रूप से संसाधित रिफंड

क्र. सं.	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर (₹ करोड़ में)			
		मामले	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
1.	**वर्ष के आरंभ में बकाया राशि**	226	34.5	42.94	171.25
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त दावे**	0	0	0	0
3.	**वर्ष के दौरान मैन्युअल रूप से रिफंड की अनुमति/अस्वीकृत**	226	34.5	42.94	171.25
4.	**वर्ष के अंत में बकाया राशि**	0	0	0	0

तालिका 1.5.1: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर (₹ करोड़ में)				
		मामले	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	उपकर
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	1,404	71.95	68.11	263.60	0.91
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	12,038	795.87	721.99	2,162.47	7.72
3.	वर्ष के दौरान मैन्युअल रूप से संस्वीकृत रिफंड	7,963	534.29	495.20	1,208.02	3.02
4.	वर्ष के दौरान मैन्युअल रूप से अस्वीकृत रिफंड	5,627	227.94	194.69	857.52	4.71
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	148	105.59	100.21	360.53	0.90

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 164 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 163 यूनिटों की लेखापरीक्षा की जैसाकि नीचे तालिका 1.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	22	21[7]
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	शून्य	शून्य
योग	**164**	**163**

अध्याय 2 से 4 में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) तथा परिवहन आयुक्त हरियाणा द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग, (वैट/बिक्री कर) तथा परिवहन विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच, महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के संबंधित प्रमुखों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने

[7] कोविड-19 के कारण, डीईटीसी (आबकारी) गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

दिसंबर 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि दिसंबर 2021 के अंत में 2,973 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 11,522.78 करोड़ से आवेष्टित 9,732 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.7 में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2019	जून 2020	दिसंबर 2021
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,588	2,765	2,973
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	7,701	8,695	9,732
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	8,455.42	10,688.15	11,522.78

1.7.1 31 दिसंबर 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	420	4,231	8,861.49
		राज्य उत्पाद शुल्क	226	414	266.73
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	22	29	12.47
2.	**राजस्व**	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,272	3,336	454.35
		भू-राजस्व	169	248	92.11
3.	**परिवहन**	वाहनों पर कर	493	808	127.46
4.	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	12	20	0.85
5.	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	105	181	1,667.31
योग			**2,973**	**9,732**	**11,522.78**

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि यह इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। परंतु 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 36.96 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 98 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका 1.7.3 में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
डी.ई.टी.सी. जगाधरी	2020-21	58	14.61
डी.ई.टी.सी. कैथल	2020-21	40	22.35
योग		**98**	**36.96**

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)

इसके फलस्वरूप, उपर्युक्त तालिका में निहित ₹ 36.96 करोड़ की राशि के 98 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु, छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों में दर्शाया जाता है।

कुल मिलाकर, नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के मध्य 19 प्रारूप अनुच्छेदों (तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 20 अनुच्छेद शामिल हैं, और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन,

जिसमें 15 अनुच्छेद शामिल हैं, को क्रमशः 16 मार्च 2021 और 17 दिसंबर 2021 को राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया था। 31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों के 58 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 45, परिवहन: 02, राजस्व: 8 तथा खदान एवं भू-विज्ञान: 03) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा ***परिशिष्ट-I*** में उल्लिखित है, प्राप्त नहीं हुई थी (31 दिसंबर 2021)।

वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 74 अनुच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (31 दिसंबर 2021)। ***परिशिष्ट-II*** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति के 22वें से 78वें प्रतिवेदनों में निहित 1979-80 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 1,033 सिफारिशों में संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी, वह अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राजस्व शीर्ष स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2021 को उनकी स्थिति ***परिशिष्ट-III*** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2011-12 में 907 से 2020-21 में 1,302 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2011-12 में 2,001 से 2020-21 में 3,399 तक बढ़ गई थी। सरकार को सुधारात्मक कार्रवाइयों को बढ़ाने के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ताकि लंबित अनुच्छेदों पर चर्चा की जा सके।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति ***परिशिष्ट-IV*** में दी गई है।

जबकि विभाग ने गत 10 वर्षों के दौरान ₹ 532.29 करोड़ के मूल्य की आपत्तियां स्वीकार की थीं, स्वीकृत राशि में से वसूल की गई राशि ₹ 3.73 करोड़ थी। गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत

मामलों में भी वसूली की प्रगति मात्र (0.70 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 555 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2020-21 के दौरान 123 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 121 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था। इकाइयों के बंद होने के कारण दो इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 294 यूनिटों में से 83 यूनिटों (राजस्व 80 + व्यय 03) के अभिलेखों की वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 1,359 मामलों में कुल ₹ 734.50 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 564 प्रकरणों में शामिल ₹ 91.86 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2020-21 के दौरान 54 मामलों में ₹ 2.62 करोड़ (2.85 प्रतिशत) वसूल किए, जिनमें से सात मामलों में वसूल किए गए ₹ 1.65 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 613.67 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 17 प्रारूप अनुच्छेद (तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 613.67 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 8.46 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई है।